भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 145B/2015–16

गौरांगो महतो <u>बनाम</u> श्रीमति पिंकी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16-03-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 157 दिनांक 09.11.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 145 B/2015–16 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता गौरांगो महतो पिता स्व0 भोला महतो, ग्राम–असुरा, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीमति पिंकी महतो पति श्री शंभू महतो, ग्राम–बुरुडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
असुरा	170	47	102	0.10 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से हाल सर्वे खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.40 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.30 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

16/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner